Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

नवंबर (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- उत्तर प्रदेश ने संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया 3
- कुंभ मेला 2025 की तैयारियाँ 3
- सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को मान्यता प्रदान की 4
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा 5
- पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिये नए नियम 6
- गंगा के जल की गुणवत्ता बिगड़ रही है 7
- प्रस्तावित काँवड़ यात्रा मार्ग के लिये काटे गए वृक्ष 9
- आगरा में फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन 11
- उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा कार्यशाला 12
- बुद्ध के अवशेष उजागर करने हेतु उत्खनन 13
- 27वाँ IEEE WPMC 2024 15
- उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद पर सर्वेक्षण 16
- उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग परियोजना 17
- विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW) 17
- भूमि अधिग्रहण नीतियों के विरुद्ध किसानों का विरोध प्रदर्शन 18
- उत्तर प्रदेश रत्न एवं आभूषण विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है 19
- UP सरकार ने पुलिस और फोरेंसिक क्षमता बढ़ाई 19
- महाकुंभ की भव्यता में अत्याधुनिक क्रूज़ 21
- NIA मानव तस्करी सिंडिकेट की जाँच करेगी 21

नोट :

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश ने संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने **संस्कृत शिक्षा** को समर्थन देने, छात्रों की पात्रता और वित्त पोषण बढ़ाने के लिये एक नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की।

प्रमुख बिंदु

- **विस्तार:**
  - इस योजना के तहत अब **586 लाख रुपए के बजट** के साथ **69,195 छात्रों** को सहायता दी जा रही है, जो कि पहले के 300 लाभार्थियों से उल्लेखनीय वृद्धि है।
  - पिछली योजना के विपरीत, जिसमें सख्त आयु सीमा थीं, नई छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश के सभी योग्य संस्कृत छात्रों के लिये खुली है।
  - CM ने कंप्यूटर विज्ञान जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों में **संस्कृत की प्रासंगिकता** पर ज़ोर दिया तथा छात्रों को इसे व्यापक अनुप्रयोगों वाली भाषा के रूप में देखने के लिये प्रोत्साहित किया।
- **पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा के लिये समर्थन:**
  - **गुरुकुल शैली के स्कूलों** को पुनर्जीवित करने की योजना की घोषणा की गई, जिसमें आवासीय सुविधाओं के लिये बेहतर समर्थन और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति शामिल है।
  - वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना से अनुसंधान में सुविधा होगी तथा पारंपरिक संस्कृत ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक जाँच के साथ एकीकृत किया जा सकेगा।

गुरुकुल

- 'गुरुकुल' प्राचीन भारत में एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी जिसमें शिष्य (छात्र) गुरु के साथ एक ही घर में रहते थे।
- नालंदा में विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली है।
- विश्व भर के छात्र भारतीय ज्ञान प्रणालियों की ओर आकर्षित हुए।

कुंभ मेला 2025 की तैयारियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले 2025 को अधिक सुरक्षित एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध आयोजन बनाने के लिये उपायों की घोषणा की ।

मुख्य बिंदु

- **उन्नत सुरक्षा उपाय:**
  - **भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिये ड्रोन** सहित उन्नत सुरक्षा और निगरानी प्रणालियाँ तैनात की जाएँगी।
- **सांस्कृतिक प्रदर्शनियाँ:**
  - पूरे मेले में पारंपरिक प्रदर्शन और प्रदर्शनियाँ होंगी, जो भारत की विविध विरासत पर प्रकाश डालेंगी।

नोट :

- **बुनियादी ढाँचागत विकास:**
  - लाखों तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिये सड़क विस्तार, बेहतर स्वच्छता और उन्नत सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है।
- **पर्यावरण अनुकूल पहल:**
  - अपशिष्ट को न्यूनतम करने तथा गंगा नदी एवं आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने के लिये कदम।

कुंभ मेला

- कुंभ मेला तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान करते हैं।
- कुंभ मेला **UNESCO की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत आता है।**
- यह महोत्सव **प्रयागराज (गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर), हरिद्वार (गंगा के तट पर), उज्जैन (शिप्रा के तट पर) व नासिक (गोदावरी के तट पर) में प्रत्येक चार वर्ष** में आयोजित किया जाता है और इसमें जाति, पंथ या लिंग के भेदभाव के बिना लाखों लोग भाग लेते हैं।
- चूँकि यह भारत के चार अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाता है, इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, जिससे यह सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण त्योहार बन जाता है।
- यह आयोजन खगोल विज्ञान, ज्योतिष, अध्यात्म, अनुष्ठानिक परंपराओं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाज़ों एवं प्रथाओं को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बन जाता है।
- परंपरा से संबंधित ज्ञान और कौशल प्राचीन धार्मिक पांडुलिपियों, मौखिक परंपराओं, ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांतों और प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा तैयार ग्रंथों के माध्यम से प्रसारित किये जाते हैं।
- आश्रमों और अखाड़ों में साधुओं के बीच गुरु-शिष्य संबंध कुंभ मेले से संबंधित ज्ञान और कौशल प्रदान करने और उसकी सुरक्षा करने का सबसे महत्त्वपूर्ण तरीका बना हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को मान्यता प्रदान की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने **उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004** की संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से मान्यता प्रदान की तथा पुष्टि की कि उत्कृष्टता के मानकों को बनाए रखने के लिये राज्य को **मदरसा शिक्षा को विनियमित करने का अधिकार है।**

मुख्य बिंदु

- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**
  - न्यायालय ने घोषणा की कि **उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान, विशेष रूप से फाज़िल (स्नातक)** और **कामिल (स्नातकोत्तर) स्तर** पर, **असंवैधानिक** थे।
  - ये प्रावधान **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956** के साथ टकराव में थे, जो **संविधान की सातवीं अनुसूची** में **संघ सूची** की प्रविष्टि 66 के अनुसार केंद्र के विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
  - निर्णय में स्पष्ट किया गया कि यह **अधिनियम राज्य के कर्त्तव्य के अनुरूप है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि** मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्र **न्यूनतम स्तर की योग्यता प्राप्त कर करें।** इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे समाज में प्रभावी रूप से भाग ले सकें और जीविकोपार्जन कर सकें।
  - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यद्यपि अल्पसंख्यकों को संविधान के **अनुच्छेद 30 के तहत अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है,** परंतु यह **अधिकार पूर्ण नहीं है।**
  - अल्पसंख्यक संस्थानों में शैक्षिक मानकों को बनाए रखने में राज्य का वैध हित है और वह सहायता और मान्यता के लिये नियामक शर्तें लगा सकता है।

नोट :

- न्यायालय ने **समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 में 'शिक्षा' की** व्यापक व्याख्या की तथा कहा कि यद्यपि मदरसे धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, उनका **प्राथमिक उद्देश्य शैक्षिक है, इसलिये वे इस प्रविष्टि के दायरे में आते हैं।**
- मदरसा बोर्ड परीक्षा आयोजित करता है और छात्रों को प्रमाण पत्र जारी करता है, जो शैक्षिक ढाँचे के साथ संरेखित होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2004 का अधिनियम **अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार)** और संविधान के **धर्मनिरपेक्षता** सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21A की व्याख्या **धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के** शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकारों के साथ की जानी चाहिये।
- संविधान के **अनुच्छेद 28(3)** का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को **धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये**, जिससे उनके **धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार** को सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004

- इस अधिनियम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में **मदरसों (इस्लामी शैक्षणिक संस्थानों)** के कामकाज को विनियमित और संचालित करना था।
- इसने उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लिये एक रूपरेखा प्रदान की।
- इस अधिनियम के तहत राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देख-रेख और पर्यवेक्षण के लिये **उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई।**

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे** पर फैसला सुनाया। यह मामला AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल करने की मांग करने वाली याचिकाओं से उपजा था, जिसे वर्ष 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

मुख्य बिंदु

- न्यायालय **ने वर्ष 1967 के संविधान पीठ के फैसले को खारिज कर दिया**, जिसमें कहा गया था कि AMU को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी स्थापना एक क़ानून द्वारा की गई थी और यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था।
- **मुख्य टिप्पणियाँ:**
  - न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा निर्मित कोई भी संस्था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कहलाती है, चाहे वह कानूनी रूप से किसी भी रूप में गठित हो।
  - ऐसी संस्थाओं का उद्देश्य **समुदाय के सांस्कृतिक ताने-बाने को संरक्षित रखना है** ।
  - अल्पसंख्यक दर्जा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि संस्था केवल समुदाय के लिये है, बल्कि मुख्य रूप से उसे लाभ पहुँचाती है।
  - न्यायालय ने पाया कि समुदाय द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण खोने से संस्था का अल्पसंख्यक चरित्र समाप्त नहीं हो जाता।
- **अनुच्छेद 30(1) महत्त्व:**
  - **अनुच्छेद 30(1)** अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिये **शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार देता है।**
    - प्रशासन का अधिकार समुदाय के सदस्यों को संस्था का प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं रखता है, बल्कि यह समुदाय-विशिष्ट शैक्षिक लक्ष्यों को बनाए रखने के लिये संस्था की स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।

नोट :

- **AMU मामला:**
  - 1875 में स्थापित AMU को **AMU (संशोधन) अधिनियम, 1981 के माध्यम से संसद द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था**, लेकिन इस प्रावधान को **2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया था।**
- **सरकार का तर्क:**
  - केंद्र ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में AMU को उसके राष्ट्रीय चरित्र के कारण **अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता ।**
  - सरकार ने तर्क दिया कि **AMU किसी विशेष धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है।**
- **विश्वविद्यालय का रुख:**
  - AMU ने कहा कि इसकी **स्थापना मूलत: मुस्लिम समुदाय द्वारा** अपने सदस्यों को शिक्षा और सशक्तीकरण प्रदान करने के लिये की गई थी।

पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिये नए नियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **उत्तर प्रदेश सरकार ने** राज्य के **पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिये नए नियम** बनाए हैं।

मुख्य बिंदु

- **उत्तर प्रदेश में DGP नियुक्ति के नए नियम इस प्रकार हैं:**
  - यूपी कैबिनेट ने **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 को मंज़ूरी दे दी।**
  - **DGP का चयन अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और शेष कार्यकाल पर विचार करते हुए** एक समिति द्वारा किया जाएगा।
  - केवल वे अधिकारी ही इस पद के लिये **पात्र हैं जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम छह महीने की सेवा शेष हो।**
  - **नियुक्त DGP न्यूनतम दो वर्ष तक** पद पर रहेंगे।
  - चयन समिति में एक सेवानिवृत्त **उच्च न्यायालय** के न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)** के प्रतिनिधि और अन्य शामिल हैं।
- **मौजूदा प्रथा:**
  - राज्य सरकार को वर्तमान DGP की सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले **UPSC को पात्र वरिष्ठ अधिकारियों की सूची भेजनी होगी।**
  - UPSC सूची की समीक्षा करता है और अंतिम नियुक्ति के लिये **तीन उम्मीदवारों की एक सूची** राज्य को भेजता है।
  - रिक्ति सृजन की तिथि से **छह महीने का न्यूनतम कार्यकाल (सेवानिवृत्ति से पहले)** वाले अधिकारी ही DGP के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे। एक बार नियुक्त होने के पश्चात, DGP का **न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा**।
- **नये नियमों का कारण:**
  - अस्थायी DGP की **नियुक्ति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के बाद सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नोटिस** के जवाब में ये नियम पेश किए गए थे ।
  - याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि अस्थायी नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हैं, जिसका उद्देश्य पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से बचाना है।
  - यद्यपि 17 राज्यों ने अपने-अपने पुलिस अधिनियम बनाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अब तक ऐसा नहीं किया था।

नोट :

गंगा के जल की गुणवत्ता बिगड़ रही है

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** ने पाया है कि उत्तर प्रदेश में **गंगा नदी में सीवेज या गंदगी छोड़े जाने** के कारण जल की गुणवत्ता खराब हो रही है।

नोट :

मुख्य बिंदु

- **NGT की चिंताएँ:**
  - NGT ने उत्तर प्रदेश में सीवेज उपचार की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि प्रयागराज ज़िले में सीवेज उपचार में 128 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) का अंतर है।
    - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि प्रयागराज में 25 अनुपयोगी नाले गंगा में बिना किसी उपचार के सीवेज का प्रवाह कर रहे हैं, जबकि 15 अन्य नाले यमुना में इसी प्रकार का प्रदूषण फैला रहे हैं।
    - उत्तर प्रदेश में 326 नालों में से 247 का उपयोग नहीं किया गया है और वे गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में अपशिष्ट जल छोड़ते हैं।

नोट :

- **NGT के निर्देश:**
  - NGT ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिसमें प्रत्येक नाले के सीवेज, उससे जुड़े **सीवेज उपचार संयंत्रों (STP)** और STP को क्रियाशील बनाने की समयसीमा का विवरण हो।
  - शपथ-पत्र में **अनुपचारित सीवेज निर्वहन को रोकने के लिये अल्पकालिक उपाय भी शामिल होने चाहिये।**
- **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) मुद्दे:**
  - CPCB की रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा के किनारे स्थित 16 शहरों में 41 STP में से छह बंद हैं तथा 35 क्रियाशील संयंत्रों में से केवल एक ही नियमों का अनुपालन करता है।
  - 41 स्थानों पर जल की गुणवत्ता में फेकल कोलीफॉर्म का स्तर सुरक्षित सीमा (500/100 मिली.) से अधिक पाया गया, जबकि 17 स्थानों पर यह 2,500 एमपीएन/100 मिली. से अधिक पाया गया, जो अनुपचारित मलजल से होने वाले गंभीर प्रदूषण का संकेत है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- यह एक वैधानिक संगठन है, जिसका **गठन वर्ष 1974 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत किया गया था।
- **CPCB को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के अंतर्गत शक्तियाँ और कार्य भी सौंपे गए।
- यह एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है तथा **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के प्रावधानों के संबंध में पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

प्रस्तावित काँवड़ यात्रा मार्ग के लिये काटे गए वृक्ष

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के अनुसार, प्राधिकारियों ने नया **काँवड़ यात्रा** मार्ग बनाने के लिये उत्तर प्रदेश के **गाज़ियाबाद, मेरठ और मुज़फ्फरनगर ज़िलों** में लगभग 17,600 वृक्ष काट दिये हैं।

मुख्य बिंदु

- **पृष्ठभूमि:**
  - इस वर्ष की शुरुआत में, NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,12,722 वृक्षों को काटने की योजना से संबंधित एक समाचार रिपोर्ट पर **स्वत: संज्ञान** लिया था।
  - बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई का उद्देश्य **गाज़ियाबाद के मुरादनगर और मुज़फ्फरनगर के पुरकाजी के बीच प्रस्तावित काँवड़ यात्रा मार्ग को सुगम बनाना था।**
- **अंतरिम रिपोर्ट के निष्कर्ष:**
  - अगस्त 2024 में, NGT ने इस परियोजना से जुड़ी **पर्यावरणीय चिंताओं की जाँच के लिये एक संयुक्त पैनल का गठन किया।**
  - **सिंचाई विभाग के आँकड़ों पर आधारित** रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रारंभिक अनुमति 1,12,722 वृक्षों को काटने की थी, लेकिन बाद में लक्ष्य घटाकर 33,776 कर दिया गया।
- NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या काटे जाने वाले वृक्षों की गणना **उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976** के अनुरूप है।
  - सरकार को यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या सड़क निर्माण के लिये हटाए जाने वाले **पौधे और झाड़ियाँ जैसी अतिरिक्त वनस्पतियाँ अधिनियम की वृक्षों की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं।**

काँवड़ यात्रा

- **यह भगवान शिव भक्तों** द्वारा **श्रावण माह** में किया जाने वाला एक **हिंदू तीर्थस्थल है।**

नोट :

- भक्तगण उत्तराखंड में **हरिद्वार**, **गौमुख**, **गंगोत्री**, बिहार में **सुल्तानगंज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी** जैसे **तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं एवं** शिव का आशीर्वाद लेने के लिये काँवड़ में **गंगा** जल लेकर लौटते हैं।
  - जल को शिव मंदिरों में चढ़ाया जाता है, जिसमें भारत भर के **12 ज्योतिर्लिंग** और उत्तर प्रदेश में पुरा महादेव मंदिर और औघड़नाथ, प्रसिद्ध **काशी विश्वनाथ मंदिर** और झारखंड के देवघर में **बाबा बैद्यनाथ मंदिर जैसे अन्य मंदिर शामिल हैं। इस अनुष्ठान को जल अभिषेक के** नाम से जाना जाता है।

आगरा में फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के **आगरा वायु सेना स्टेशन में** भारतीय वायु सेना (IAF) C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर (FMS) का उद्घाटन किया गया। इससे **सिम्युलेटर में पायलट प्रशिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा पूरा किया जा सकेगा,** जिससे विमान पर उड़ान के कीमती घंटों की बचत होगी।

मुख्य बिंदु

- यह सिम्युलेटर **पायलटों को अत्यधिक वास्तविकता के निकट प्रशिक्षण प्रदान करता है** तथा सामरिक एयरलिफ्ट, पैरा-ड्रॉपिंग, पैरा-ट्रूपिंग, चिकित्सा निकासी तथा आपदा राहत जैसे अभियानों का अनुकरण करता है।
  - यह **महत्त्वपूर्ण परिदृश्यों का अनुकरण भी करता है, जिससे वास्तविक दुनिया के संचालनों के लिये पायलटों की तत्परता बढ़ती है** और तीव्र, उच्च-दाँव वाले निर्णय लेने की उनकी क्षमता में सुधार होता है, जिससे सैन्य उड़ानों की समग्र सुरक्षा बढ़ जाती है।
- भारतीय वायुसेना में C-295 विमान के शामिल होने से **देश के एयरोस्पेस उद्योग को मज़बूती मिलेगी, क्योंकि यह** निजी क्षेत्र के परिवहन विमान उत्पादन में "आत्मनिर्भर भारत" की शुरुआत का प्रतीक है ।

- **C-295 विमान:**
  - यह समकालीन प्रौद्योगिकी वाला **5-10 टन क्षमता वाला परिवहन विमान है।**
  - मज़बूत और विश्वसनीय, यह एक **बहुमुखी और कुशल सामरिक परिवहन विमान है** जो कई अलग-अलग मिशनों को पूरा कर सकता है।
- **विशेषताएँ:**
  - 11 घंटे तक की उड़ान क्षमता वाला यह विमान **सभी मौसम की परिस्थितियों में बहु-भूमिका संचालन कर सकता है।**
  - यह रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक दिन के साथ-साथ रात के लड़ाकू मिशनों को भी संचालित कर सकता है।
  - इसमें **सैनिकों और कार्गो की त्वरित प्रतिक्रिया और पैरा ड्रॉपिंग के लिये पीछे की ओर रैंप दरवाज़ा है।** अर्द्ध-निर्मित सतहों से कम दूरी पर उड़ान भरना/उतरना इसकी एक और विशेषता है।

नोट :

- **प्रतिस्थापन:**
  - यह भारतीय वायु सेना के **पुराने हो रहे Avro-748 विमानों के बेड़े की जगह लेगा।**
  - Avro-748 विमान **ब्रिटिश मूल के दोहरे इंजन वाले टर्बोप्रॉप, सैन्य परिवहन और मालवाहक विमान हैं** जिनकी माल ढुलाई क्षमता 6 टन है।

उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा कार्यशाला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** के **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD)** ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ में दो दिवसीय **साइबर सुरक्षा कार्यशाला** का आयोजन किया।

प्रमुख बिंदु

NeGD द्वारा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- **राज्य क्षमता निर्माण योजना** का हिस्सा, **NeGD का साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम**, राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच साइबर सुरक्षा लचीलेपन को मज़बूत करने के लिये बनाया गया है।
- यह कार्यक्रम **मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO)** और उप CISO को साइबर जोखिमों को प्रभावी ढंग से संभालने और कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण कौशल से लैस करता है।
  - NeGD की **स्थापना 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा **डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन** के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में की गई थी।
  - इसका उद्देश्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों में **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना और उसे गति प्रदान करना** था।
- **उद्देश्य:**
  - **साइबर सुरक्षा जागरूकता:** साइबर सुरक्षा मुद्दों, साइबर खतरों और **ई-गवर्नेंस** ढाँचे की समझ बढ़ाना।
  - **साइबर लचीलापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): साइबर लचीलापन पारिस्थितिकी तंत्र** और साइबर सुरक्षा में **AI** की भूमिका के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान को बढ़ाना।
  - **साइबर सुरक्षा केंद्र:** राज्य स्तरीय **ई-गवर्नेंस** प्रणालियों की सुरक्षा के लिये **साइबर सुरक्षा केंद्र** के महत्त्व पर शिक्षित करना।
  - **डेटा और एप्लिकेशन सुरक्षा: डेटा सुरक्षा (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023)** एप्लिकेशन सुरक्षा और एंडपॉइंट सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करना।
  - **संकट प्रबंधन:** प्रभावी घटना प्रतिक्रिया के लिये **साइबर संकट प्रबंधन योजना (CCMP)** विकसित करने में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना।
  - **पहचान एवं पहुँच प्रबंधन:** सरकारी डिजिटल प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिये पहचान एवं पहुँच प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना।

राज्य क्षमता निर्माण योजना:

- MeitY के तहत NeGD ने देश भर के राज्य नेताओं, CISO और अधिकारियों के लिये **क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की एक शृंखला** शुरू की है।
- ये कार्यशालाएँ **साइबर खतरों के प्रबंधन**, सुरक्षित IT ढाँचे को अपनाने और **डिजिटल शासन को मज़बूत करने के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण और सर्वोत्तम अभ्यास** प्रदान करती हैं।

नोट :

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

- इसका उद्देश्य **भारत में व्यक्तियों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना** तथा ऐसे डेटा के संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण और साझाकरण को विनियमित करना है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - अनुपालन लागू करने के लिये **भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की** स्थापना की गई।
  - डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण के लिये **स्पष्ट सहमति** की आवश्यकता होती है।
  - **डेटा न्यासियों** को उचित सुरक्षा उपाय लागू करने का आदेश दिया गया है।

बुद्ध के अवशेष उजागर करने हेतु उत्खनन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के **महाराजगंज ज़िले के रामग्राम में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किया।**

- **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की अगुवाई** में चल रही इस परियोजना का उद्देश्य **भगवान बुद्ध के आठवें अवशेष के साक्ष्य को उजागर करना है,** जिसके बारे में माना जाता है कि वह इसी स्थल पर दफन है।

मुख्य बिंदु

- **ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्त्व:**
  - यह स्थल **उन आठ स्थानों में से एक है जहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे तथा बौद्ध परम्पराओं** में इसका अत्यधिक महत्त्व है।
  - यह **सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत स्थित है** और **ऐतिहासिक रूप से प्राचीन कोलिया साम्राज्य से जुड़ा हुआ है।**
  - कोलिया उत्तर-पूर्वी दक्षिण एशिया का एक **प्राचीन इंडो-आर्यन वंश** था जिसका अस्तित्व **लौह युग** के दौरान प्रमाणित होता है।
- **क्षेत्रीय विकास की संभावना:**
  - आशा है कि उत्खनन से यह स्थान एक प्रमुख **बौद्ध तीर्थ स्थल में बदल जाएगा।**
  - इस विकास से क्षेत्र में **पर्यटन को बढ़ावा मिलने तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने की आशा है।**
- **वैश्विक मान्यता पर ध्यान:**
  - इस परियोजना का उद्देश्य इस स्थल को वैश्विक **बौद्ध तीर्थयात्रा सर्किट** में एकीकृत करना है।
  - स्थानीय प्राधिकारियों को उम्मीद है **कि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों और विद्वानों की यात्रा में वृद्धि होगी,** जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक छवि में वृद्धि होगी।

सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य

- **परिचय:**
  - **यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले** में स्थित है।
  - उत्तर में **यह अभयारण्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है** तथा पूर्व में बिहार के **वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व के साथ सीमा साझा करता है।**
  - इसे **जून 1987 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया।**
- **जल निकासी:**
  - इसमें **ग्रेट गंडक, लिटिल गंडक, प्यास और रोहिन नदियाँ** बहती हैं।
- **वनस्पति:**
  - लगभग 75% क्षेत्र **साल के वनों** से आच्छादित है तथा अन्य आर्द्र क्षेत्र **जामुन, गुटल, सेमल, खैर आदि के वृक्षों से आच्छादित हैं।**

नोट :

- अभयारण्य का निचला क्षेत्र, जो बारिश के दौरान जलमग्न हो जाता है, **घास के मैदानों और बेंत के वनों से युक्त है।**

- **जीव-जंतु:**
  - यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं जिनमें मुख्य रूप से **तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, छोटी भारतीय सिवेट, लंगूर, हिरण, नीलगाय, जंगली सूअर, साही आदि शामिल हैं।**

नोट :

27वाँ IEEE WPMC 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने **ग्रेटर नोएडा** में **वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस (WPMC) 2024 पर 27वीं IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेज़बानी की।**

- भारतीय अधिकारियों ने दूरसंचार नवाचार में देश की तीव्र प्रगति तथा **5G परिनियोजन से 6G प्रौद्योगिकी** के भविष्य की परिकल्पना की ओर संक्रमण पर प्रकाश डाला।

मुख्य बिंदु

- **उद्देश्य एवं विषय:**
  - यह शोधकर्त्ताओं, उद्योग जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं को **वायरलेस संचार में प्रगति पर चर्चा करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।**
  - थीम, **"Secure 6G- AI Nexus: Where Technology Meets Humanity अर्थात् सुरक्षित 6G- AI नेक्सस: प्रौद्योगिकी का मानवता से मिलन", 6G** और **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रतिच्छेदन** पर केंद्रित है।
- **कार्यक्रम का स्थान:**
  - यह कार्यक्रम **शारदा विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया** और इसमें विभिन्न देशों के विशेषज्ञ और विचारक एकत्रित हुए।
- **वायरलेस संचार में भारत की भूमिका:**
  - एक विशेषज्ञ ने **भारत के बढ़ते नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र** और **वैश्विक दूरसंचार क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान देने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला।**
  - **भारत द्वारा शीघ्र ही 6G प्रौद्योगिकी से संबंधित** लगभग 10 पेटेंट दाखिल किए जाने की आशा है, जिससे उसकी आर्थिक और तकनीकी स्थिति में और वृद्धि होगी।
- **6G प्रौद्योगिकी हेतु दृष्टिकोण:**
  - सरकार **अत्यंत कम विलंबता के साथ 1 टेराबिट प्रति सेकंड तक की अभूतपूर्व गति प्राप्त करने की परिकल्पना करती है,** जो वैश्विक कनेक्टिविटी और सामाजिक-आर्थिक विकास में एक परिवर्तनकारी कदम होगा।
  - यह पहल भारत को दूरसंचार क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।
- **6G की परिवर्तनकारी क्षमता:**
  - विशेषज्ञों ने उन्नत क्षमताओं वाले पोर्टेबल उपकरणों को सक्षम करने के लिये 6G की क्षमता पर जोर दिया, **जिसमें उच्च आवृत्ति उपयोग और न्यूनतम विलंबता पर ध्यान केंद्रित किया गया।**
  - इस प्रौद्योगिकी से दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि को सुविधाजनक बनाकर **ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने की आशा है, जो डिजिटल विभाजन को पाटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के भारत के मिशन के साथ संरेखित होगा।**

सुरक्षित और बेहतर दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये भारत की पहल:

- **दूरसंचार अधिनियम, 2023**
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023**
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति
- भारत 6G एलायंस

नोट :

भारतनेट परियोजना

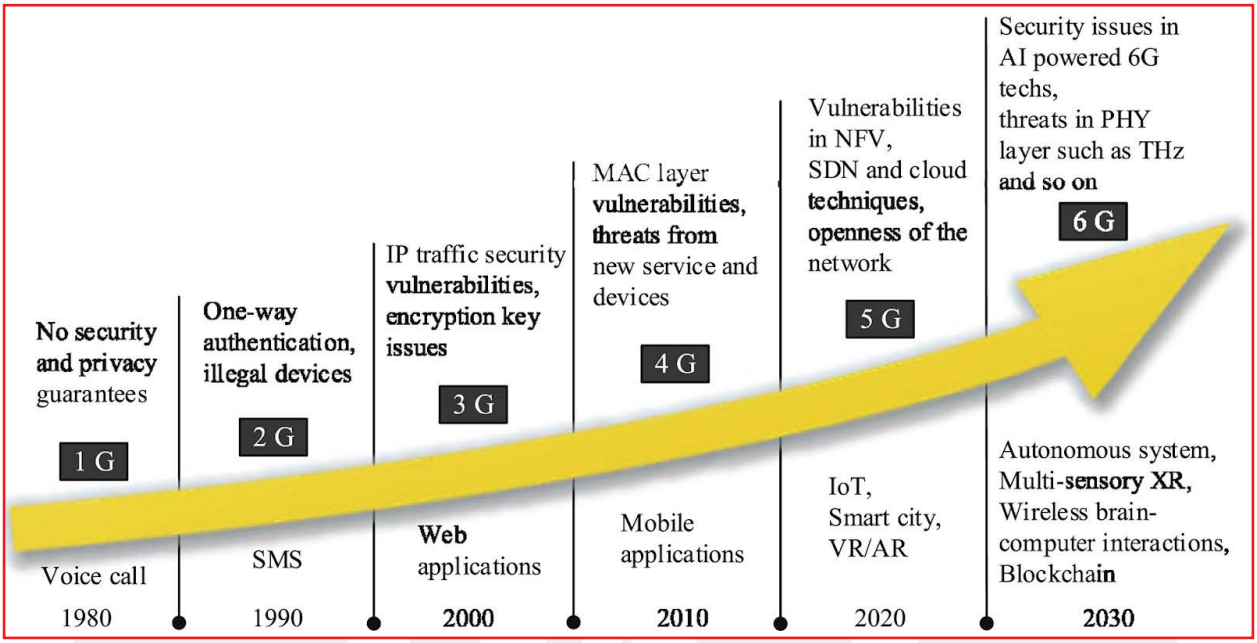

उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद पर सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के **संभल ज़िले में 16वीं सदी की मुगलकालीन जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया।** यह आदेश एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका के बाद दिया गया है।

मुख्य बिंदु

- **ऐतिहासिक धर्मांतरण पर दावे:**
  - याचिका में आरोप लगाया गया है कि संभल की **जामा मस्जिद मूलत: मोहल्ला कोट पूर्वी में स्थित** हरि हर मंदिर थी और इसे **1529 में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था।**
  - इसमें दावा किया गया है कि विवादित स्थल के प्रबंधन और नियंत्रण के लिये **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ज़िम्मेदार है।**
- **जमीयत उलमा-ए-हिंद:**
  - जमीयत उलमा-ए-हिंद ने **उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991** के महत्त्व पर प्रकाश डाला, जो **सभी पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को उसी रूप में संरक्षित करता है,** जैसा वे **15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में थे।**
  - उन्होंने हाल की न्यायिक कार्रवाइयों में इस कानून की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की तथा **अयोध्या निर्णय** में **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम का समर्थन किये जाने पर ज़ोर दिया।**
- **जामा मस्जिद का ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - संभल में जामा मस्जिद **बाबर के शासनकाल (1526-1530) के दौरान निर्मित तीन मस्जिदों में से एक है।** अन्य मस्जिदों में पानीपत की मस्जिद और अब ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद शामिल हैं।
    - **इतिहासकार हॉवर्ड क्रेन ने अपनी कृति, द पैट्रोनेज ऑफ बाबर एंड द ऑरिजिंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर** में मस्जिद की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन किया है।

नोट :

- क्रेन ने एक फारसी शिलालेख का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि बाबर ने अपने सूबेदार **जहाँगीर कुली खान के माध्यम से दिसंबर 1526 में मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था।**

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)

- **संस्कृति मंत्रालय** के अधीन ASI, देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
- **प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958** ASI के कामकाज को नियंत्रित करता है।
- यह राष्ट्रीय महत्त्व के 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी स्थापना **1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।** अलेक्जेंडर कनिंघम को "भारतीय पुरातत्व के जनक" के रूप में भी जाना जाता है।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने आगरा नहर** के किनारे **सड़क को फोरलेन (विस्तार करने)** के संबंध में प्रक्रिया शुरू की है।

मुख्य बिंदु

- **परियोजना अवलोकन:**
- **उद्देश्य:** उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का लक्ष्य आगरा नहर के किनारे सड़क को चार लेन का बनाना है, जिससे यातायात का प्रवाह सुगम हो सके।
- **प्रस्ताव:** परियोजना को औपचारिक रूप देने के लिये **फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA)** के साथ एक **समझौता ज्ञापन (MOU) प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 278 करोड़ रुपए है।**
- **स्थिति एवं चुनौतियाँ:**
- सरकारी मंज़ूरी के बावजूद भूमि स्वामित्व संबंधी औपचारिकताओं के कारण प्रगति रुकी हुई है।
- इसके लिये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से औपचारिक अनुमति लेना आवश्यक है, क्योंकि भूमि का स्वामित्व विभाग के पास है।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली गई है तथा निविदाएँ आरंभ करने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु FMDA की मंज़ूरी लंबित है।
- **लाभ:**
- **ग्रेटर फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, बल्लभगढ़** और आगामी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से **जेवर हवाई अड्डे** तक बेहतर पहुँच।
- चौड़ी सड़क बनने से मौजूदा दो लेन वाले हिस्से पर भीड़भाड़ कम हो जाएगी।
- **महत्त्व:**
- यह परियोजना **बेहतर बुनियादी ढाँचे की दीर्घकालिक मांगों को पूर्ण करती है** तथा **बेहतर क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास का वादा करती है।**

विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW)

चर्चा में क्यों ?

विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW) के अवसर पर, **बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने** एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

इसका उद्देश्य **मरीज़ों और MBBS छात्रों को रोगाणुरोधी दवाओं के** सही उपयोग और महत्त्व के बारे में शिक्षित करना है।

नोट :

मुख्य बिंदु

- **WAAW का अवलोकन:**
  - रोगाणुरोधी प्रतिरोध **के संबंध में जागरूकता बढ़ाने** के लिये विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW) **प्रतिवर्ष 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है।**
  - AMR तब होता है जब **बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक जैसे सूक्ष्मजीव विकसित होते हैं और रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं,** जिससे संक्रमण का उपचार कठिन हो जाता है और रोग फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
  - विशेषज्ञों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध **के कारण प्रतिवर्ष लगभग 300,000 लोगों की मृत्यु होती है** तथा उन्होंने स्पष्ट किया कि हर बुखार टाइफाइड नहीं होता है या हर बुखार के लिये एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है।
- **इंटरैक्टिव गतिविधियाँ:**
  - छात्रों ने AMR जागरूकता का संदेश दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिये एक नुक्कड़ नाटक का प्रयोग किया।
  - AMR से निपटने में संक्रमण की रोकथाम की भूमिका पर ज़ोर देते हुए **उचित हाथ धोने की तकनीक का प्रदर्शन किया गया।**
- **महत्त्व:**
  - यह पहल **एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जनता को शिक्षित करने** तथा इस समस्या के समाधान के लिये स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

भूमि अधिग्रहण नीतियों के विरुद्ध किसानों का विरोध प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषकों ने भूमि अधिग्रहण से जुड़ी अपनी लंबित समस्याओं के समाधान के लिये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया।

मुख्य बिंदु

- **विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व एवं मांगें:**
  - इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व **भारतीय किसान यूनियन (BKU)** ने किया और अखिल **भारतीय किसान सभा** और **भारतीय किसान परिषद ने इसका समर्थन किया।**
  - वे **उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं,** जिसमें 10% विकसित भूमि और अधिग्रहित भूमि के लिये 64.7% बढ़ा हुआ मुआवज़ा शामिल है।
  - ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने पुष्टि की कि किसानों की मांगें पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी हैं।
- **विरोध प्रदर्शन में भागीदारी और कार्यवाहियाँ:**
  - **गौतमबुद्ध नगर,** बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा सहित लगभग **20 ज़िलों के किसान इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसकी शुरुआत नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर रैली के साथ हुई,** जिससे यातायात में मामूली बाधा उत्पन्न हुई।
  - यह विरोध प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर कई महीनों तक चले छोटे-छोटे प्रदर्शनों के बाद हुआ है, जिसके बारे में किसानों का मानना था कि इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला।
- **भविष्य की आंदोलन योजनाएँ:**
  - किसानों ने 28 नवंबर से 1 दिसंबर, 2024 तक अपना आंदोलन **यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA)** में स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की, जिसके बाद 2 दिसंबर, 2024 को दिल्ली तक मार्च शुरू होगा।
- **मुआवजा और विकास संबंधी आरोप:**
  - किसानों का आरोप है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के विकास के लिये अपनी कृषि भूमि देने के बावजूद उन्हें उचित मुआवज़ा या विकसित भूखंड नहीं मिले हैं।

नोट :

उत्तर प्रदेश रत्न एवं आभूषण विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार **रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिये ठोस कदम उठा रही है तथा आर्थिक मूल्य संवर्धन** और **निर्यात वृद्धि** पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

मुख्य बिंदु

- उत्तर प्रदेश **भारत के रत्न और आभूषण उद्योग** में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जो अपनी समृद्ध **सांस्कृतिक विरासत** और **उत्कृष्ट शिल्प कौशल** के लिये जाना जाता है।
  - इस उद्योग में राज्य का वार्षिक व्यापार **1 ट्रिलियन रुपए से अधिक होने का अनुमान है,** जिसमें दस लाख से अधिक **व्यापारी, खुदरा विक्रेता, शिल्पकार** और **डिज़ाइनर शामिल हैं**।
- **प्रमुख केंद्र:**
  - उत्तर प्रदेश में **रत्न और आभूषण व्यापार** के केंद्रों में **मेरठ, लखनऊ, नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, मुरादाबाद, कानपुर** व **आगरा शामिल हैं**।
  - ये केंद्र **विनिर्माण और निर्यात** दोनों में महत्त्वपूर्ण हैं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
  - व्यापार का संगठित क्षेत्र समग्र बाज़ार का लगभग **35% हिस्सा** है, जो संरचित वृद्धि और विकास के महत्त्व को उजागर करता है।
- **सरकारी पहल और महत्त्व:**
  - उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरठ को उत्तर भारत के **प्रमुख आभूषण विनिर्माण और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने के लिये एक व्यापक खाका तैयार किया है।**
  - **मेरठ का आभूषण उद्योग,** जिसका वार्षिक कारोबार **2,000 करोड़ रुपए से अधिक है,** लगभग **40,000 सुनार, रत्न निर्माता** और **आभूषण व्यापारियों को रोज़गार देता है** ।
  - **32,000 वर्ग मीटर में** फैले प्रस्तावित हब का उद्देश्य मेरठ को **रत्न, बहुमूल्य पत्थरों और स्वर्ण आभूषणों के लिये एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है।**
  - इस दृष्टिकोण को समर्थन देने के लिये, सरकार व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये एक **आधुनिक बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का निर्माण करने की योजना बना रही है।**
- **राष्ट्रीय और वैश्विक महत्त्व:**
  - उत्तर प्रदेश में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र न केवल राज्य के लिये महत्त्वपूर्ण है, बल्कि **भारत के कुल वस्तु निर्यात में इसका योगदान 10-12% है**।
  - 2023 में, रत्न और आभूषणों का घरेलू बाज़ार **92 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा,** जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्त्व को रेखांकित करता है।
  - उत्तर प्रदेश का समृद्ध थोक आभूषण बाज़ार अन्य राज्यों के ग्राहकों को भी सेवाएँ उपलब्ध कराता है, जिससे इस उद्योग में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका और अधिक दृढ़ होती है।

UP सरकार ने पुलिस और फोरेंसिक क्षमता बढ़ाई

चर्चा में क्यों ?

संविधान दिवस (26 नवंबर) पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने **फोरेंसिक विज्ञान और साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन** के दौरान पारदर्शी पुलिस भर्ती और **क्षेत्रीय स्तर** पर **फोरेंसिक लैब** की स्थापना के लिये राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

नोट :

- ये पहल कानून और व्यवस्था को बेहतर बनाने, पीड़ितों के लिये समय पर न्याय सुनिश्चित करने तथा सुशासन बनाए रखने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं।

मुख्य बिंदु

- **सम्मेलन की मुख्य बातें:**
  - **नये आपराधिक कानून:**
    - भारत ने हाल ही में **तीन नए आपराधिक कानून लागू किये हैं: भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023**
    - 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी इन कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके नागरिकों की सुरक्षा करना है कि बिना उचित साक्ष्य के किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाए।
  - **कानून और व्यवस्था में चुनौतियाँ और सुधार:**
    - 2017 से पहले, उत्तर प्रदेश को **कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा था,** जिसमें गुंडागर्दी (बर्बरता/हिंसा) का प्रचलन अधिक था।
    - उत्तर प्रदेश सरकार ने पाया है कि पिछली सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस में आधे से ज़्यादा पद खाली थे। इस स्थिति से निपटना मौजूदा सरकार का मुख्य ध्यान बन गया है।
  - **पारदर्शी भर्ती और फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ :**
    - राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से **154,000 से अधिक पुलिसकर्मियों** की भर्ती की है और हाल ही में अतिरिक्त **7,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती शुरू की है**।
    - इससे पहले **फोरेंसिक लैब चार स्थानों तक सीमित थीं।** अब, **ज़ोनल स्तर** पर उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक लैब स्थापित की गई हैं और उन्हें **रेंज स्तर तक विस्तारित करने की योजना है**।
    - ये प्रयोगशालाएँ आपराधिक मामलों में साक्ष्य जुटाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - **साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक विज्ञान पहल:**
    - आज उत्तर प्रदेश में **1,775 पुलिस स्टेशन साइबर हेल्पलाइन से लैस हैं, जिससे साइबर अपराध** से निपटने में राज्य की क्षमता बढ़ गई है।
    - इसके अतिरिक्त, **फोरेंसिक जाँच को और अधिक सहायता प्रदान करने** तथा न्यायालय में प्रस्तुत **साक्ष्य की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की** स्थापना की गई है।

संविधान दिवस

- **संविधान दिवस,** जिसे **राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है,** भारत में प्रतिवर्ष **26 नवंबर को** भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
  - **29 अगस्त, 1947** को संविधान **सभा ने भारत के लिये संविधान का प्रारूप** तैयार करने हेतु **डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता** में एक **मसौदा समिति का** गठन किया।
  - 26 नवंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो **26 जनवरी, 1950** को लागू हुआ।
- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने** 19 **नवंबर, 2015** को **26 नवंबर को 'संविधान दिवस'** के रूप में मनाने के **भारत सरकार** के निर्णय को अधिसूचित किया।
- यह दिन संविधान के महत्त्व और संविधान के मुख्य वास्तुकार **बी.आर. अंबेडकर** के विचारों और अवधारणाओं को फैलाने के लिये मनाया जाता है।

नोट :

महाकुंभ की भव्यता में अत्याधुनिक क्रूज़

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार **महाकुंभ वर्ष 2025** की तैयारी में एक नया आकर्षण, **निषादराज क्रूज़** शामिल कर रही है।

मुख्य बिंदु

- **निषादराज क्रूज़ का शुभारंभ:**
  - **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)** द्वारा प्रबंधित निषादराज क्रूज़ ने **वाराणसी से प्रयागराज तक** अपनी यात्रा शुरू कर दी है।
  - यह **क्रूज़ आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है,** जो नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - क्रूज़ की यात्रा के लिये **प्रयागराज मेला प्राधिकरण** और **वाराणसी प्रशासन के बीच समन्वय** जारी है।
- **उद्घाटन:**
  - प्रधानमंत्री **का 13 दिसंबर, 2024 को महाकुंभ का दौरा करने का कार्यक्रम है।**
  - प्रधानमंत्री अरैल से **संगम** तक की यात्रा के लिये निषादराज क्रूज़ पर सवार होने से पहले **श्रृंगवेरपुर धाम** में **भगवान राम** और निषादराज की मूर्तियों का **अनावरण करेंगे।**
  - संगम पर पहुँचकर वह अनुष्ठानिक स्नान करेंगे और पवित्र **गंगा नदी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।**
  - यात्रा कार्यक्रम में गंगा आरती, बड़े हनुमान मंदिर और अक्षयवट के दर्शन तथा परेड ग्राउंड में प्रमुख संतों और आध्यात्मिक नेताओं के साथ बातचीत शामिल है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) अधिनियम, 1985** के तहत एक **वैधानिक निकाय है।**
- इसकी स्थापना **1986 में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के** तहत नौवहन और नौवहन के लिये अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिये की गई थी।
- इसका **मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है** और इसका मुख्य कार्य अंतर्देशीय जलमार्गों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना, नई परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता का सर्वेक्षण करना और प्रशासन और विनियमन करना है।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के** अनुसार 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

NIA मानव तस्करी सिंडिकेट की जाँच करेगी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने मानव तस्करी के एक गिरोह की** जाँच के तहत छह राज्यों में 22 स्थानों पर छापे मारे, जो युवाओं को **साइबर धोखाधड़ी** में शामिल कॉल सेंटरों में काम करने के लिये लुभाता है।

मुख्य बिंदु

- **ये तलाशी बिहार, उत्तर प्रदेश,** दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में की गई।
  - इसकी उत्पत्ति बिहार के गोपालगंज में दर्ज एक पुलिस रिपोर्ट से हुई है, जिसमें एक संगठित सिंडिकेट शामिल है जो नौकरी दिलाने के बहाने **भारतीय युवाओं को विदेश में तस्करी के लिये ले जाता है।**
- तस्करी के माध्यम द्वारा लाए गए लोगों को **फर्जी कॉल सेंटरों में काम करने के लिये मज़बूर किया जाता था।** ये कॉल सेंटर साइबर धोखाधड़ी के काम में संलिप्त थे।

नोट :

- **मानव तस्करी:**
  - यह **लोगों के अवैध व्यापार और शोषण को संदर्भित करता है**, आमतौर पर जबरन श्रम, यौन शोषण या अनैच्छिक दासता के प्रयोजनों के लिये।
  - इसमें शोषण के उद्देश्य से **धमकी, बल, दबाव, अपहरण, धोखाधड़ी या छल** के माध्यम से **व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति शामिल है।**

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)

- **परिचय:**
  - NIA **भारत की केंद्रीय आतंकवाद निरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी** है, जिसे **भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जाँच करने का अधिकार है। इसमें** शामिल हैं:
    - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
    - परमाणु एवं नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध।
    - **हथियारों, नशीले पदार्थों और जाली भारतीय मुद्रा** की **तस्करी** तथा सीमा पार से घुसपैठ।
    - **संयुक्त राष्ट्र**, उसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों **की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और प्रस्तावों को लागू करने के लिये बनाए गए वैधानिक कानूनों** के तहत अपराध।
  - इसका गठन **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।**
  - **एजेंसी को गृह मंत्रालय की लिखित घोषणा के** तहत **राज्यों से विशेष अनुमति के बिना** राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली

✦ ✦ ✦ ✦

The Vision